न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/162

1. छीतर लाल
2. रामस्वरूप
3. घनश्याम
4. रामेश्वर पिसरान किशनगोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. रामकन्या बाई बेवा रामरतन जी जाति मीणा निवासी ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कमला बाई पत्नी मोती लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम गुडलाखेडली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. गीताबाई पत्नी गजानन्द जी जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. छोटी बाई पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 एवं 92 ए के अन्तर्गत ग्राम चौमा मालियान की आराजी बाद सेटलमेंट खसरा नम्बर 59 की 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 258 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 384 की 0.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 565 की 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 569 की 1.94 हैक्टर, खसरा नम्बर 639 की 0.27 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 641 की 2.53 हैक्अर कुल 07 किता की 6.68 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादी के ससुर रामचन्द्र जी व प्रभूलाल जी के शामलाती खाते व कब्जे काश्त की भूमि है । रामचन्द्र जी के फौत होने के बाद उक्त आराजी उनके

एक मात्र पुत्र रामरतन जी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई । रामरतन जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि जरिये इंतकाल नं0 211 दिनांक 26.02.2011 से प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जबकि वादीगण का उक्त भूमि पर आज भी कब्जा है और वह उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । पक्षकारान जाति से मीणा हैं जिन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती तथा 1956 से पूर्व प्रचलित कोटा संभाग के कोटा सरकूलर नम्बर 03 के प्रावधानों से गवर्न होते हैं जिसके तहत महिला को केवल सम्पत्ति में भरण–पोषण के अधिकार ही प्राप्त होते हैं, खुर्द करने के अधिकार प्राप्त नहीं हैं । प्रतिवादी उक्त भूमि अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी भी प्रकार से रहन, बेचान, खुर्द–बुर्द नहीं करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे ऐसा कोई कृत्य न तो प्रतिवादी स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादी क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण द्वारा यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है । उक्त वाद से पूर्व माननीय न्यायालय में उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद संख्या 41/09 बउनवान रामकन्याबाई बनाम छीतर लाल वगै0 अन्तर्गत धारा 88, 89 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय दिनांक 02.02.2011 को कर दिया था जिसमें वर्तमान वाद में वादीगण प्रतिवादी थे प्रतिवादी द्वारा पूर्व वाद में काउन्टर क्लेम भी पेश किया था उसका निर्णय भी किया जा चुका है । विचाराधीन बाद के पक्षकार व आराजीयात पूर्व वाद के समान ही है तथा वर्तमान वाद पश्चात्वर्ती वाद है जिसका विचारण नहीं किया जा सकता है जो खारिज होने योग्य है क्योंकि पश्चात्वर्ती वाद रेसजूडीकेटा से बाधित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.02.2017 के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.02.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में प्रस्तुत वाद तथा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद के तथ्य भिन्न–भिन्न हैं तथा भिन्न–भिन्न ही वादकारण हैं किन्तु फिर भी अधीनस्थ द्वारा पूर्व में पारित आदेश एवं डिक्री का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही रेसजूडीकेटा से बाधित होना मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट का वाद घोषणा खतेदारी अन्तर्गत धारा 88, 89 92 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत है जिसका मात्र श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत केवल मात्र वादपत्र को ही

देखकर निर्णित किया जाना था प्रतिवादी के कथन को मध्य नजर रखकर प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं किया जा सकता । उक्त कानूननी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्टगण का है । अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा खारिज किया है जबकि पहले का दावा और वर्तमान का दावा दोनों भिन्न–भिन्न हैं । अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के तहत केवल मात्र वादपत्र को ही देखकर निर्णित किया जाना था प्रतिवादी के जवाब को मध्यनजर रखकर प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं किया जा सकता । दावे व प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य के आधार निर्णय किया जाना अनिवार्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने पूर्व में भी इस आराजी के बाबत् काउन्टर दावा पेश किया था जो खारिज हो चुका है । अपीलान्टगण ने उसकी अपील की हुई है । वादग्रस्त आराजी रामकन्या के पति रामरतन की है जिसके विधिक वारिस रेस्पोडेन्टगण ही हैं । अपीलान्ट ने एक कूट रचित वसीयत पेश की थी जिसके आधार पर उनके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था जो न्यायालय में जैरकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से 10,000/– रूपये की खर्चे पर दावा वादी खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादीगण का है। पक्षकारान मीणा जाति के हैं जिनमें उत्तराधिकार कोटा सरकूलर नम्बर 03 के अनुसार तय होते हैं और महिलाओं को सम्पत्ति में केवल भरण–पोषणा के अधिकार प्राप्त होते हैं । सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने के अधिकार नहीं होते हैं । वादीगण रामरतन के काका के लडके हैं जो प्रथम श्रेणी के वारिस हैं और वादग्रसत आराजी के एकमात्र मालिक एवं अधिकारी हैं । इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की माननीय सक्षम न्यायालय में अपील पेश की है जो विचाराधीन है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत पेश किया है और यह कथन किया है कि – इस आराजी के बाबत् एक दावा संख्या 41/09 व उनवान रामकन्याबाई बनाम छीतर लाल वगै0 ने अन्तर्गत धारा 88, 89 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जो लम्बित था उसमें प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम भी पेश किया था । इस दावे का निर्णय हो

चुका है अब इसी आराजी के बाबत् समान पक्षकारों के मध्य पश्चात्वर्ती दावा नहीं चल सकता। अतः दावा खारिज किया जावे ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा खारिज किया है । रेस्पोडेन्टगण के प्रार्थना पत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.02.2011 प्रकरण संख्या 41/09 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । यह दावा रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के खिलाफ पेश किया गया था । दावा इसी वादग्रसत आराजी के बाबत है इस दावे में प्रतिवादीगण ने भी काउन्टर क्लेम पेश किया था और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय से वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए वादी कम 1 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया है । वादीगण द्वारा अपने नये वाद में भी यह अंकित किया है कि पूर्व में जो निर्णय हुआ है उसकी उन्होंने अपील पेश की हुई है और अपील अपीलीय न्यायालय में लम्बित है । अब इसी आराजी के बाबत् उन्होंने नया दावा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जबकि वो वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं हैं । वादीगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया है उसमें मुख्य रूप से उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि पक्षकारान मीणा जाति के हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है वरन् वे कोटा सरकूलर नम्बर 03 के शासित है जिसमें महिला को सम्पत्ति में केवल भरण–पोषण का अधिकार है खुर्द–बुर्द करने का अधिकार नहीं है । वादी का यह कथन विधि के द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध है क्योंकि यह बात सही है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है बल्कि कोटा सरकूलर नम्बर 03 लागू होता है और पुरानी हिन्दू विधि एवं कोटा सरकूलर नम्बर 3 के अनुसार पुरूष उत्तराधिकारी (पुत्र) होने की स्थिति में महिला को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । परन्तु इस प्रकरण में जैसा कि पक्षकारान ने अवगत करवाया है कि रामरतन के कोई पुत्र नहीं था और उनकी पत्नी एवं पुत्रियॉ मौजूद हैं ऐसी स्थिति में कोटा सरकूलर नम्बर 03 एवं पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार उनकी सम्पत्ति में अधिकार उनकी पत्नी को प्राप्त होगा न कि वादीगण को जो कि स्वयं को उनके काका के पुत्र बता रहे हैं । इस प्रकार दावे के आधार पर भी वादीगण का दावा चलने योग्य नहीं है । साथ ही जब अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.02.2011 की अपील पेश कर रखी है तो उन्होंने जो भी कथन इस आराजी बाबत करना हैं उस अपील में ही करने चाहिए न कि नया दावा पेश करना चाहिए ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अपीलान्टगण का दावा चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/162

1. छीतर लाल
2. रामस्वरूप
3. घनश्याम
4. रामेश्वर पिसरान किशनगोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. रामकन्या बाई बेवा रामरतन जी जाति मीणा निवासी ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कमला बाई पत्नी मोती लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम गुडलाखेडली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. गीताबाई पत्नी गजानन्द जी जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. छोटी बाई पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 138/दावा/2016

1. छीतर लाल
2. रामस्वरूप
3. घनश्याम

4. रामेश्वर पिसरान किशनगोपाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।

––वादी

बनाम

1. रामकन्या बाई बेवा रामरतन जी जाति मीणा निवासी ग्राम चौमा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. कमला बाई पत्नी मोती लाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम गुडलाखेडली तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. गीताबाई पत्नी गजानन्द जी जाति मीणा निवासी ग्राम मालीहेडा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. छोटी बाई पत्नी सत्यनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.09.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री घनश्याम नागर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओम प्रकाश प्रजापति के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 07.09.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा